सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा

कार्य मंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

(17 मार्च, 1997 को प्रस्तुत)

DELHI VIDHAN SABHA

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

FOURTEENTH REPORT

(PRESENTED ON 17th MARCH, 1997)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली ।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

(चौदहवां प्रतिवेदन)

17-3-1997 ....को प्रस्तुत ।

समिति का गठन

1.	श्री चरती लाल गोयल माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री राजेन्द्र गुप्ता परिवहन मंत्री	सदस्य
3.	श्री राम भज, विधायक	सदस्य
4.	श्री देवेन्द्र सिंह, विधायक	सदस्य
5.	कु0 पूर्णिमा सेठी ,विधायक	सदस्य
6.	श्री महेन्द्र सिंह साथी, विधायक	सदस्य
7.	श्री शोएब इकबाल, विधायक	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी·एन·गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस·के·शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री पी·सी·अग्रवाल	उप सचिव
4.	श्री एस·के·श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

कार्य मंत्रणा समिति की बैठक माननीय अध्यक्ष महोदय के कक्ष में सम्पन्न हुई ।

समिति को सूचित किया गया कि 17 मार्च,1997 से 1 अप्रैल,1997 तक, कुल मिलाकर सदन की 10 बैठकें अस्थायी तौर पर निर्धारित की गई थीं । तथापि,विधायी कार्य मंत्री ने इच्छा जाहिर की कि चूंकि सत्तापक्ष के अधिकांश विधायक अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में पार्टी की राष्ट्रीय मीटिंग में शामिल होने के लिये त्रिवेन्द्रम के लिये प्रस्थान कर देंगे, इसलिये वे चाहते हैं कि सत्र को जल्दी स्थगित कर दिया जाये,ताकि वे ऐसा कर सकें । इसलिये उन्होंने प्रस्ताव किया कि कार्य सूची में दर्ज कार्यों को समय से निपटाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल1 अप्रैल,1997 को सदन की बैठक न की जाये और इसके बजाये शनिवार,29 मार्च,1997 को सदन की बैठक की जाये । सदन की बैठक 31 मार्च,1997 को समाप्त हो जायेगी ।

श्री महेन्द्र सिंह साथी ने सूचित किया कि उनकी पार्टी ने बिजली के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि के बारे में पहले ही स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे दी है।माननीय अध्यक्ष महोदय का भी यह विचार था कि चूंकि सत्र के प्रथम दिन,यानी 17 मार्च,1997 को अपराह्न 4·30 बजे बजट प्रस्तुत कर दिया जायेगा,इसलिये यह उचित होगा कि बिजली की दरों में वृद्धि पर चर्चा अगले दिन,अर्थात् 18 मार्च,1997 को की जाये । उन्होंने श्री महेन्द्र सिंह साथी को यह भी विश्वास दिलाने की कोशिश की कि स्थगन प्रस्ताव को चर्चा में बदलना उचित होगा,ताकि इस विषय पर, जो कि दिल्ली के लोगों के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, पर अधिक समय तक चर्चा की जा सके । कुछ चर्चा के बाद, समिति ने यह निर्णय लिया कि बिजली की बढ़ी हुई दरों के प्रस्तावित विषय को दिनांक 18 मार्च,1997 को चर्चा के लिये लिया जाये।

समिति ने निम्नलिखित दो अन्य विषयों पर चर्चा के लिये अनुमति दीः-

1· दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति, और

2· सार्वजनिक वितरण प्रणाली

समिति को अवगत कराया गया कि दिल्ली विलासिता कर(संशोधन) विधेयक,1996 पर गठित प्रवर समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है जिसको इस सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा और तत्पश्चात् विधेयक को विचारण एवं पारण के लिये सूचीबद्ध किया जायेगा ।

समिति को यह भी सूचित किया गया कि विधायी कार्य मंत्री से यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिये लौटाये गये दिल्ली विधान सभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) विधेयक, 1996 को भी इस सत्र में लिया जायेगा।

विधायी कार्य मंत्री ने सूचित किया कि निम्नलिखित दो नये विधेयकों को भी इस सत्र में पुरःस्थापित किये जाने की सम्भावना है :

1. जल परिषद् विधेयक - दिल्ली विद्युत परिषद् की तरह दिल्ली जल परिषद् के गठन के उद्देश्य से ।

2. नर्सिंग काउंसिल विधेयक - नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों के पंजीकरण एवं विनियमितीकरण के उद्देश्य हेतु ।

समिति ने श्री राम भज और उनकी अनुपस्थिति में श्री महेन्द्र सिंह साथी को सदन में समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

चरती लाल गोयल

सभापति

कार्य मंत्रणा समिति

REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

(14TH REPORT)

PRESENTED ON 17-3-1997

Constitution of the Committee

1.	Shri Charti Lal Goel, Hon'ble Speaker.	Chairman
2.	Shri Rajendra Gupta, Minister of Transport	Member
3.	Shri Ram Bhaj, MLA.	Member
4.	Shri Devendra Singh, MLA.	Member
5.	Km. Purnima Sethi, MLA.	Member
6.	Shri Mohinder Singh Saathi, MLA.	Member
7.	Shri Shoaib Iqbal, MLA.	Member

Secretariat

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Jt. Secretary
3.	Shri P.C. Agarwal	Dy. Secretary
4.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer

The Business Advisory Committee met in the Chamber of Hon'ble Speaker.

The Committee was informed that in all, 10 sittings have been tentatively planned from 17th March, 1997 to 1st April, 1997. The Minister of Legislative Affairs, however, expressed the desire that since most of the ruling party MLAs would be proceeding for Trivendrum to attend to their party's national meet in the first week of April, they would, therefore, like the session to be adjourned early to enable them to do so. He, therefore, proposed that the meeting fixed for 1st April may be dispensed with and instead the House may sit on Saturday the 29th March, 1997 for timely

Contd......2

disposal of the agenda items and business before the House. The sitting of the House will be upto 31st March, 1997.

Shri Mohinder Singh Saathi informed that his party has already given notice of an Adjournment Motion about steep increase in the tariff rates of electricity and they would like to take up this item as Item No.1. Hon'ble Speaker was of the view that since the budget is to be presented on the very first day i.e. on 17th March, 1997 at 4.30 PM, it would be appropriate if discussion on electricity rates could take place on the next day i.e. on 18th March. He also tried to convince Shri Saathi that it would be more appropriate if the Adjournment Motion was converted into a discussion so that more time could be devoted to this subject which is of utmost importance to the people of Delhi. After some discussion, the Committee decided that Short Duration Discussion be taken up on 18th March, 1997 on the issue of proposed enhanced electricity rates.

The Commitee approved the following two other subjects for discussion:-

1) Law and Order situation in the Capital; and
2) Public Distribution System

The Committee was apprised that the Select Committee on the Delhi Luxuries Tax (Amendment) Bill, 1996 has finalised its report which will be presented in the ensuing session and, therefore, the Bill would be listed for consideration and passing.

The Committee was further informed that a notice has been received from the Legislative Affairs Minister to the effect that the Delhi

Contd......3

Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Bill, 1996 returned by the President of India for reconsideration, would also be taken up in this Session.

The Minister of Legislative Affairs informed that the following two new Bills are likely to be introduced in the coming Session:-

1) Water Board Bill - aimed at constitution of a Water Board on the lines of Delhi Vidyut Board.

2) Nursing Council Bill - aimed at registration and regulation of personnel engaged in the profession of Nursing.

The Committee authorised Shri Ram Bhaj and in his absence Shri Mohinder Singh Saathi to present the report in the House.

CHARTI LAL GOEL,

CHAIRMAN,
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE,
DELHI VIDHAN SABHA.